# स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

## प्रेस नोट संख्याः 230, दिनांक 20–09–2020

### जनपद सुलतानपुर में हुई हत्या में वांछित व रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी मित्रसेन मौर्या गिरफ्तार।

दिनांक को 19–09–2020 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद सुलतानपुर में हुई हत्या में वांछित रू0 25,000/– के पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी मित्रसेन मौर्या को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–**

मित्रसेन मौर्या उर्फ छोटू पुत्र राम मिलन मौर्या, नि0 हेंगुर गौरा, थाना–कादीपुर, सुलतानपुर।

**बरामदगीः–**

रू0 450/– नगद।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में एसटीएफ मुख्यालय स्थित एक टीम को अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र दोस्तपुर, सुलतानपुर में हुई हत्या में वांछित रू0 25,000/–का पुरस्कार घोषित अपराधी मित्रसेन मौर्या थाना क्षेत्र दोस्तपुर में दिखाई दिया है। इस सूचना पर एसटीएफ, मुख्यालय लखनऊ से निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 सत्यप्रकाश सिंह, आरक्षी राजीव सिंह, आरक्षी सुनील राय व आ0 चालक शिव बीर सिंह की एक टीम गठित कर वांछित अभियुक्त मित्रसेन मौर्या की गिरफ्तारी हेतु थाना क्षेत्र दोस्तपुर, सुलतानपुर के लिए रवाना किया गया। एसटीएफ टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी, कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि वांछित/इनामी अभियुक्त मित्रसेन मौर्या सी0एल इण्टर कालेज छित्ते पटटी के पास अपने किसी मित्र से मिलने आने वाला है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम ने उक्त स्थान पर पहुंचकर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए अभियुक्त मित्रसेन मौर्या को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि हरिप्रसाद जायसवाल की मॉ ने रामसहाय सिंह उसके पुत्र व अन्य के विरूद्ध थाना दोस्तपुर सुलतानपुर में मु0अ0सं0 59/2020 धारा 395, 147, 504, 506, 336 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें हरीप्रसाद गवाह था। रामसहाय सिंह द्वारा इसी मुकदमें की गवाही न करने एवं मुकदमा वापस लेने के लिए हरिप्रसाद जायसवाल पर बार–बार दबाव बनाया जा रहा था। इन दोनों के बीच पूर्व से ही आपसी वर्चस्व की लड़ाई थी। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने रामसहाय सिंह, पवन मौर्या व अन्य के साथ मिलकर

दिनांक 23–07–2020 को हरिप्रसाद को उसके गांव में ही दौड़ाकर गोली मारकर हत्या कर की दी थी। इस सम्बन्ध में थाना दोस्तपुर, सुलतानपुर पर मु0अ0सं0 152/2020 धारा 147, 148, 149, 302, 504, 506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसमें वह वांछित था। इसी मुकदमें में रू0 25000/–का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना दोस्तपुर, सुलतानपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 152/2020 धारा 147, 148, 149, 302, 504, 506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।